119

रजनी वशिष्ठ वर्मा 15-11-16 25

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

R 3861-I-16

15-11-16

1- कमलेश रानी पत्नि बाबूलाल चमार
पेशा खेती निवासी ग्राम मड़वा तहसील
रैपुरा जिला पन्ना म0प्र0

2- बाबूलाल वल्द धुनइय्यां चमार पेशा खेती
निवासी ग्राम मड़वा तहसील रैपुरा जिला
पन्ना म0प्र0

--- निगरानीकर्तागण

वनाम

1- मध्य प्रदेश शासन

2- पप्पू उर्फ पुरुषोत्तम वल्द कल्ला चमार
निवासी ग्राम विल्हा तहसील रैपुरा जिला पन्ना

3- गंगाराम वल्द लिल्लू चमार पेशा खेती
निवासी ग्राम विल्हा तहसील रैपुरा जिला पन्ना

4- मालू वल्द लीलागौड़ पेशा खेती

5- दस्सी बाई पति लीला गौड़ पेशा खेती
दोनों निवासी ग्राम मड़वा तहसील रैपुरा
जिला पन्ना म0प्र0

6- लक्ष्मण वल्द उल्लू चमार पेशा खेती
निवासी ग्राम रुटवा तहसील रैपुरा जिला पन्ना

--- उत्तरार्थीगण

फार्मल पक्षकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 840अ/19, वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23-9-2015 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

-2

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि नायब तहसीलदार रैपुरा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 24अ।19(1) वर्ष 2000-01 में पारित आदेश दिनांक 3-3-2001 द्वारा भूमि खसरा नंबर 314।3 रकबा 1-16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 312 रकबा 0-20 हेक्टेयर स्थित ग्राम मड़वा तहसील रैपुरा जिला पन्ना में सम्पूर्ण जांच किये जाने के उपरान्त पट्टा प्रदान किया गया था। इसके साथ ही प्रतिनिगरानीकर्त्ता क्रमांक 3,4,5 को पट्टा प्रदान किये गये थे। उक्त वंटन आदेश के विरुद्ध एक अवधि बाधित अपील श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 35अ।19, वर्ष 2007-08 प्रस्तुत की गई जिसमें श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर पन्ना द्वारा विधिवत धारा 5 काम्याद अधिनियम का आवेदन का निराकरण ना करते हुए अन्तिम आदेश पारित कर निगरानीकर्त्ता एवं गैरनिगरानीकर्त्ता को दिये गये पट्टे निरस्त कर दिये जिसके विरुद्ध श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई जिसे श्रीमान अपर आयुक्त सागर ने बिना विचारण न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किये निगरानी याचिका निरस्त कर दी, जिसके विरुद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

2- यह कि, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर ने 7 वर्षों के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गई अपील को बिना विलम्ब को क्षमा किये गुण-दोषों पर निराकरण किया है, जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3- यह कि, श्रीमान नायब तहसीलदार रैपुरा द्वारा विधिवत हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रत्येक व्यक्ति की पात्रता की जांच करने के उपरान्त विधिवत इश्तहार जारी कर भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा प्रदान किया गया था, जिसे प्रथम अपीलीय

-3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3861–एक/16 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.12.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। अनावेदक–1 शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता ने निगरानी मेमों के साथ धारा–5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथपत्र प्रस्तुत किया है। अवधि विधान की धारा–5 में समाधान–कारक बिन्दु होने से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के प्रकरण की कायमी पर तर्क सुने। अनावेदक 2 से 6 तक तरतीवी पक्षकार है। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 840/अ–19/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23–9–15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है आवेदकगण कमलेश रानी बाबूलाल चमार के पक्ष में भूमि नंबर 314/3 रकवा 1.116 है0 खसरा न0 312 रकवा 0.20 है0 स्थित ग्राम मड़वा जिला पन्ना का बंटन निरस्त किया गया, जिसके विरूद्व अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 23–9–2015 द्वारा निरस्त हुई। इसी आदेश से परवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि नायब तहसीलदार रेपुरा के राजस्व प्रकरण कमांक 24/अ–19(1) 2000–01 में पारित आदेश दिनांक 3–3–2001 द्वारा भूमि खसरा नंबर 314/3 रकवा 1.16 हैक्टर खसरा नंबर 312/3 0.20 हैक्टर स्थित ग्राम मड़वा तहसील रैपुरा जिला पन्ना में संपूर्ण जांच किये जाने के उपरांत पटटा प्रदान किया	

गया था। इसके साथ ही अनावेदकगण 3, 4, एवं 5 को पटटा प्रदान किये गये थे। उक्त बंटन आदेश के विरूद्व एक अवधि वाधित अपील अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर जिला पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 35/अ–19/2007–08 अपील पर पंजीबद्व हुई। अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर द्वारा धारा–5 के आवेदन का निराकरण न करते हुये प्रकरण का निराकरण गुण दोष पर करते हुये आवेदकगण को दिये गये पटटे निरस्त किये गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 30–9–15 निरस्त किया जावे।

5– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। शासन के अधिवक्ता द्वारा तर्को में बताया गया है कि प्रकरण में अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन करने पर पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन का निराकरण न करते हुये अन्तिम आदेश कर आवेदकगण एवं अनावेदकगण को दिये गये पटटे निरस्त करने में त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर के समक्ष 7 वर्षो के विलंब से प्रस्तुत की गई थी एंव अपील प्रस्तुत करने में 7 वर्ष के विलंब पर विचार किये बिना गुण दोषों पर निराकरण करना न्यायिक प्रकिया का उल्लॅघन है जो अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण जो भूमिहीन व्यक्ति है और उन्हें पटटा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी हैं ऐसी स्थिति में आवेदकगण को ग्राम मड़वा तहसील शाहनगर जिला पन्ना स्थित

भूमि खसरा नंबर 314/3 रकवा 1.16 है0 एवं खसरा नंबर 312 रकवा 0.20 है0 का पटट्ा नायब तहसीलदार रैपुरा द्वारा विधिवतरूप से दिया गया था जो यथावत रखे जाने योग्य है।

8– परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर का प्रकरण कमांक 35/अ–19/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 24–9–08 एवं अपर आयुक्त सागर का प्रकरण कमांक 840/अ–19/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23–9–2015 निरस्त किये जाते हैं तथा आवेदकगण को ग्राम मड़वा तहसील शाहनगर जिला पन्ना स्थित भूमि खसरा नंबर 314/3 रकवा 1.16 है0 एवं खसरा नंबर 312 रकवा 0.20 है0 का पटट्ा नायब तहसीलदार रैपुरा द्वारा विधिवतरूप से दिया गया था जो यथावत रखे जाने योग्य है। अतः आवेदकगण को ग्राम मड़वा तहसील शाहनगर जिला पन्ना स्थित भूमि खसरा नंबर 314/3 रकवा 1.16 है0 एवं खसरा नंबर 312 रकवा 0.20 है0 का पटट्ा नायब तहसीलदार रैपुरा द्वारा विधिवतरूप से दिया जो यथावत रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य